संख्या-243/2015/4026/नौ-5-15-45बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
झींझक, कानपुर देहात।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नालों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19/एन0पी0जे0/2015-16, दिनांक 06.06.2015, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-81/2015/867(2)/नौ-5-15-358बजट/2014-6, दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा नगरीय जल निकासी योजना से जल निकासी के कार्यों हेतु रू0 39.36 लाख पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 19.68 लाख के आहरित न होने की दशा में नान पेमेन्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हुए धनराशि पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा नगर पंचायत, झींझक जनपद कानपुर देहात को निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि को निरसित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नालों के निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों के लिये ₹ 39.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 19.68 लाख(₹ उन्नीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कानपुर देहात	नगर पंचायत, झींझक	1. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-1	4.92		
			2. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-2	4.92		
			3. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-3	4.92		
			4. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-4	4.92		
			5. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-5	4.92		
			6. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-6	4.92		
			7. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-7	4.92		
			8. वार्ड नं0 13 में रमाकान्त चौबे के मकान से बी0एस0एन0एल0 कार्यालय तक चटियों सहित (कवर्ड) आरसीसी नाला का निर्माण कार्य। खण्ड-8	4.92		
			योग	39.36	39.36	19.68

(रू0 उन्नीस लाख अड़सठ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित मण्डल/जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खेत में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता

पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर निगमों द्वारा रू0 50.00 लाख तक, नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(4) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित धनराशि को सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी में न हीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(9) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 31 मार्च, 2016</u> तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामे डाली जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-243/2015/4026(1)/नौ-5-15-45बजट/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष, नगर पंचायत, झींझक, कानपुर देहात।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-16/07/2015

प्रेषण संख्या:- 243-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-243-2015-4026-9-5-15-45B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	कानपुर देहात-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	1968000	1968000
		प्रगामी	4259000	4259000
	योग	वर्तमान	1968000	1968000
		प्रगामी	4259000	4259000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस लाख अड़सठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बयालीस लाख उनसठ हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी